भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2842

18 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

विषय : किसानों के बीच कौशल विकास को बढ़ावा देने वाली योजनाएं

2842. श्री अ. मनिः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में किसानों के बीच कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन जैसे संबद्ध क्षेत्रों में लगे किसानों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान इन क्षेत्रों के लिए आयोजित किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या और प्रशिक्षित किए गए किसानों की संख्या कितनी है;

(घ) इन पहलों से कृषि उत्पादकता और किसानों की आय बढ़ाने में किस हद तक मदद मिली है; और

(ङ) क्या इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचारों को शामिल करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) और (ख): सरकार कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में किसानों के बीच कौशल विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित कर रही है।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा पूरे देश में 'विस्तार सुधारों के लिए राज्य विस्तार कार्यक्रमों को सहायता' पर केंद्रीय प्रायोजित योजना क्रियान्वित की गई है, जिसे कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (आत्मा) के नाम से जाना जाता है। यह योजना, देश में विकेंद्रीकृत किसान-अनुकूल विस्तार प्रणाली को बढ़ावा देती है, जिसका उद्देश्य विस्तार प्रणाली को पुनर्जीवित करने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों को सहायता प्रदान करना और किसानों, कृषक महिलाओं और युवाओं को कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के विभिन्न विषयगत क्षेत्रों में किसान प्रशिक्षण, प्रदर्शन, एक्सपोजर दौरे, किसान मेला आदि जैसे विभिन्न हस्तक्षेपों के माध्यम से नवीनतम कृषि प्रौद्योगिकियों और अच्छी कृषि पद्धतियां उपलब्ध कराना है। वर्तमान में, यह योजना देश के 28 राज्यों और 5 संघ राज्य क्षेत्रों के 739 जिलों में क्रियान्वित की जा रही है।

सरकार कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में ग्रामीण युवाओं और किसानों को अल्पावधि कौशल प्रशिक्षण (7 दिन की अवधि) प्रदान करने के उद्देश्य से ग्रामीण युवा कौशल प्रशिक्षण

(एसटीआरवाई) को क्रियान्वित कर रही है। ताकि उनके ज्ञान और कौशल का उन्नयन हो सके और ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी/स्वरोजगार को बढ़ावा मिले। यह घटक कुशल जनशक्ति का भंडार बनाने के लिए कृषि आधारित व्यावसायिक क्षेत्रों में किसानों एवं ग्रामीण युवाओं को अल्पावधि कौशल आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करने का लक्ष्य रखता है। हाल ही में, आत्मा कैफेटेरिया के अंतर्गत एसटीआरवाई कार्यक्रम को शामिल कर लिया गया है।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग 'कृषि मशीनीकरण उप-मिशन' (एसएमएएम) को कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए, बुदनी (मध्य प्रदेश), हिसार (हरियाणा), गेराल्डिन (आंध्र प्रदेश) और बिश्वनाथ चरियाली (असम) में स्थित चार फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान (एफएमटीटीआई) संचालन, मरम्मत और रखरखाव, ऊर्जा संरक्षण और कृषि उपकरणों के प्रबंधन पर किसानों, तकनीशियनों, स्नातक इंजीनियरों, उद्यमियों जैसे विभिन्न श्रेणियों के लाभार्थियों को कौशल विकास प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए उपलब्ध हैं।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई), कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की एक अम्ब्रेला योजना है, जिसका उद्देश्य कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों का समग्र विकास सुनिश्चित करना है। इसमें राज्यों को जिला/राज्य कृषि योजना के अनुसार, प्रशिक्षण कार्यक्रमों सहित अपनी स्वयं की कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र विकास गतिविधियों को चुनने की अनुमति देने का प्रावधान है।

सरकार देश के विभिन्न राज्यों में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) के माध्यम से कौशल विकास कार्यक्रम क्रियान्वित कर रही है, ताकि सिंगल विंडो से कृषि ज्ञान, संसाधन और क्षमता विकास केंद्र के रूप में कार्य किया जा सके, जिसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी मूल्यांकन और इसके उपयोग और क्षमता वर्धन का प्रदर्शन करना है। अपनी गतिविधियों के हिस्से के रूप में, केवीके, किसानों, कृषक महिलाओं और ग्रामीण युवाओं को कृषि और संबद्ध क्षेत्रों (फसल उत्पादन, बागवानी, मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता प्रबंधन, पशुधन उत्पादन और प्रबंधन, गृह विज्ञान/महिला सशक्तिकरण, कृषि इंजीनियरिंग, पादप संरक्षण, मत्स्य पालन, प्रछेत्र पर आदान का उत्पादन, कृषि वानिकी आदि) के विभिन्न पहलुओं पर उनकी क्षमता वर्धन के लिए प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं।

सरकार द्वारा जुलाई 2015 में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) के तहत राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन शुरू किया गया है, जिसके तहत कृषि एवं किसान कल्याण विभाग कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में भारतीय कृषि कौशल परिषद (एएससीआई) द्वारा विकसित अनुमोदित योग्यता पैक के अनुसार ग्रामीण युवाओं और किसानों के लिए न्यूनतम 200 घंटे की अवधि के कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को संचालित कर रहा है। हाल ही में, इस कार्यक्रम को आत्मा कैफेटेरिया के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है ।

(ग) : एसटीआरवाई कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षित ग्रामीण युवाओं का विवरण नीचे दिया गया है -

वर्ष	**2022-23**		**2023-24**	
	आयोजित कार्यक्रमों की संख्या	प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या	आयोजित कार्यक्रमों की संख्या	प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या
बागवानी	121	2338	196	4194
पशुपालन	80	1504	85	1702
मत्स्य पालन	27	491	27	508
मधुमक्खी पालन	38	690	42	881

पिछले दो वर्षों के दौरान केवीके द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों और प्रशिक्षित किसानों का विवरण इस प्रकार है:

विवरण	**आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या**	**प्रशिक्षित किसानों की संख्या**
बागवानी	15391	458046
पशुपालन	10533	318555
मत्स्य पालन	2666	74583
मधुमक्खी पालन	1031	28453

आत्मा कार्यक्रम के तहत पिछले दो वर्षों (2022-23 और 2023-24) के दौरान कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन सहित विभिन्न विषयों पर 76,72,468 किसानों को प्रशिक्षित किया गया।

(घ) : कौशल विकास में प्रशिक्षण ने किसानों को खेती में उन्नत तकनीकों का उपयोग करने के लिए सशक्त बनाया है जिससे कृषि और कृषि से अलग गतिविधियों से उनकी आय में वृद्धि हुई है। विस्तार कार्यक्रमों ने विविध उत्पादन पद्धति और नई प्रौद्योगिकियों को अपनाकर 20% तक की उपज वृद्धि में स्पष्ट प्रभाव डाला है। कृषि वित्त निगम लिमिटेड द्वारा किए गए तीसरे पक्ष के मूल्यांकन अध्ययन के अनुसार, विस्तार कार्यक्रम हस्तक्षेप के बाद किसानों द्वारा प्रमाणित बीजों का उपयोग 1% से बढ़कर 16% हो गया है।

(ङ): कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचारों, जैसे ड्रिप और स्प्रिंकलर पद्धतियों का उपयोग, ड्रोन प्रौद्योगिकी, डिजिटल प्लेटफार्मों का उपयोग इत्यादि का प्रशिक्षण शामिल है।

*****